

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक पाली

—:: कार्यालय आदेश ::—

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा-2022 में चयनित अभ्यर्थियों को श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा-मा./संस्था/एफ-1/12102(203)/सी.भ./पीटीआई/2021-22 दिनांक 02.09.2023 एवं 07.09.2023 के द्वारा नियुक्ति प्रदान करने हेतु पदस्थापन के लिए इस कार्यालय को आवंटित किए गए थे। उक्त आदेश में विशेष विवरण कॉलम में अंकित ONLY COUNSELLING वाले अभ्यर्थियों की काउन्सलिंग के निर्देश प्रदान किये गये थे। जिसकी पालना में दिनांक 09.09.2023 को काउन्सलिंग शिविर का आयोजन किया गया।

श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के पत्र दिनांक 02.09.2023, 07.09.2023 एवं पत्रांक शिविरा-मा./संस्था/एफ-1/12102(203)/सी.भ./पीटीआई/2021-22 दिनांक 26.09.2023 द्वारा अभ्यर्थियों के द्वारा प्रस्तुत प्रशैक्षणिक/खेल दस्तावेजों की संबंधित विश्व विद्यालय/संस्था से Genuine रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करने के निर्देश प्रदान किये जाने की पालना में संलग्न सूची अनुसार शारीरिक शिक्षा अध्यापक (नॉन टी.एस.पी.) के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के वेतन लेवल-10 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियत मानदेय 23700/- (अक्षरे तेईस हजार सात सौ रुपये मात्र) पर नियुक्ति दी जाकर इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापन किया जाता है। इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ12(9) एफडी(रूल्स)/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय देय होगा। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में फिक्स रेमुनेरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्तों यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा। सम्बन्धित संस्थाप्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे:-

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार अभ्यर्थी का सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त नवीनतम चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट (पुलिस सत्यापन रिपोर्ट) एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा। पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाये जाने/के बिना कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं इस संबंध में तत्काल स्थानीय कार्यालय को अवगत करवाना सुनिश्चित करें। जिन अभ्यर्थियों के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाये जाने पर उक्त के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 एवं 26.10.2021 के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1) डीओपी/ए-11/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावे।
3. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बन्धी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्सम्बन्धी आशय का 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
4. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूमपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने सम्बन्धी बचनबंधता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।
5. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.7(13) कार्मिक/क-2/23 दिनांक 11.05.2023 के अनुसार भारत के संविधान के प्रति निष्ठा, राष्ट्र की प्रभूता, अखण्डता को अक्षुण्ण बनाये रखने तथा पद के कर्तव्यों को राजनिष्ठा, ईमानदारी एवं निष्पक्षता से किये जाने संबंधी शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किया जाकर सेवा अभिलेख में संलग्न किया जावे।
6. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।

Signature valid

Digitally signed by Rahu Kumar
Rajpurohit
Designation : District Education Officer
Date: 2023.09.27 15:50:51 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4800004



7. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व समस्त अभ्यर्थियों से 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में तत्काल नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावें।
8. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्राबेशन ट्रेनी) की अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई कटौतियों की जावेगी।
9. परिवीक्षाकाल प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
10. परिवीक्षाकाल प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-12(9)एफ.डी.(रूल्स) 2017 जयपुर, दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
11. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व आवेदन पत्र में सलंगन दस्तावेजों का मूल प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों से जांच करने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करवाया जावे। किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर स्पष्ट टिप्पणी सहित स्थानीय कार्यालय को अवगत करवाना सुनिश्चित करें।
12. सम्बन्धित संस्था प्रधान/पी.ई.ई.ओ. को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित विद्यालय में पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में कार्यग्रहण नहीं करावे।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापन स्थान पर दिनांक 20-10-2023 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाकर सम्बन्धित संस्था प्रधान मूल आवेदन पत्र इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करे। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/ सूचनाएँ सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के उसकी सेवाएँ समाप्त की जा सकेगी।

संलग्न :- आदेश सूची क्र.स. 1 से 12 तक

(राहुल कुमार राजपुरोहित)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय), माध्यमिक, पाली
दिनांक:- 27.09.2023

क्रमांक:-जिशाअ/मु./मा./पाली/संस्था/शा.शि.अ.2022/2023/494
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. श्रीमान विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. श्रीमान संयुक्त शासन उप सचिव शिक्षा (गुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर।
4. श्रीमान शासन उप सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग राजस्थान जयपुर।
5. श्रीमान सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान, जयपुर।
6. श्रीमान निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
7. श्रीमान संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा पाली-मण्डल, पाली।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) प्रारम्भिक पाली
9. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को प्रति भेजकर लेख है कि आज ही आपके कार्यालय से संबंधित लिपिक को आपके ब्लॉक को आवंटित अभ्यर्थियों के मूल आवेदन मय संलग्न प्राप्त कर संबंधित विद्यालय में पहुंचाने की व्यवस्था करावें।
10. सम्बन्धित संस्था प्रधान/पी.ई.ई.ओ उमावि/मावि
11. शाखा अवधायक, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. सम्बन्धित आशार्थी।
13. रक्षक
14. पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय), माध्यमिक, पाली

Signature valid

Digitally signed by Rahul Kumar
Rajpurohit
Designation : District Education Officer
Date: 2023.09.27 15:50:51 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4800004



कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, पाली

क्रमांक:-जि.श.अ./मु./मा./पाली/संस्था/शा.शि.अ.2022/2023/494

दिनांक :- 27.09.2023

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित शारीरिक शिक्षा अध्यापक
सीधी भर्ती परीक्षा-2022 में चयनित अभ्यर्थियों के काउन्सलिंग पश्चात पदस्थापन आदेश
गैरअनुसूचित क्षेत्र (Non-TSP)

S. N.	MERIT NO.	NAME / FNAME	ADDRESS	DOB	M/F	CAT	H CAT	SEL CAT	SCHOOL NAME	block	Candidate Photo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	162	KAMLESH SAIN/ PADAM LAL SAIN	567 RAJENDRA NAGAR VISTAR PALI - Dist.PALI	01-Jul-97	M	OBC		GEN	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHANGESAR(221477	PALI	
2	516	ANAND SINGH/ VIJAY SINGH	VILL-RUKHARA, POST-POSALIYA TEHSIL-SHIVGUNJ - District SIROHI	12-Mar-98	M	GEN-EWS		GEN	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL DENDA BLOCK PALI (440152) (08201706601)	PALI	
3	520	RAMARAM RAIKA/ NANDA RAM RAIKA	V/PO-KAWARADA TEH-AHORE - District JALORE	30-Jan-94	M	MBC		GEN	RAO RAJA NARPAT SINGH GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BITHIA (466865)	SUMERPUR	
4	725	RAVINDRA SINGH/ KARAN SINGH	MANSAGAR DANWARA JODHPUR District JODHPUR	05-May-95	M	GEN		GEN	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL MANDLI DARIJAN (504834)	ROHAT	
5	1107	BALVEER KUMAR/ TARA RAM	388,SARGARON KA BAS NIMBALI MANDA VIA SOJAT ROAD District PALI	20-Jan-97	M	SC		GEN	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SISARWADA (214149)	SOJAT	
6	1271	KRAPAL SINGH JAITAWAT/ GOVIND SINGH JAITAWAT	128, RAVLA KHOKHARA PIN CODE- 306306 VIA-CHANDAWAL District PALI	26-Jan-94	M	GEN		GEN	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL JHOPADIYA DHUNDHALA (469940)	MARWAR JUNCTION	
7	1274	OM PRAKASH HUDDA/ HARI RAM HUDDA	MASOORI MASOORI TEH NOKHA District BIKANER	12-Sep-95	M	OBC		GEN	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL DADI (412666)	SOJAT	
8	1360	MANGU SINGH KUMPAWAT/ GANPAT SINGH KUMPAWAT	VPO GUDA RAM SINGH TEHSIL MARWAR JUNCTION - District PALI	12-Jun-96	M	GEN-EWS		GEN	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SIRVI ACHLI BAI VARPA ISALI (221242)	MARWAR JUNCTION	
9	1401	YUDHISHTHIRA /SATYANARAYAN	PARIHAR KARSHI FORM HANUMAN SAGAR BINJWARIYA District JODHPUR	08-May-91	M	OBC		GEN	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL SIRANA TEHSIL ROHAT DISTT PALI (471630) (08200405201)	ROHAT	
10	2093	GAJENDRA SINGH/ MADAN SINGH	GOGRA ROAD TAKHATGARH TEH - SUMERPUR - District PALI	20-Aug-95	M	GEN-EWS		GEN-EWS	GOVT. GIRLS UPPER PRIMARY SCHOOL JAWAI BANDH (466816)	SUMERPUR	

Signature valid

Digitally signed by Raju Kumar
Rajpurohit
Designation : District Education Officer
Date: 2023.09.27 15:50:51 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4800004



S. N.	MERIT NO.	NAME / FNAME	ADDRESS	DOB	M/ F	CAT	H CAT	SEL CAT	SCHOOL NAME	block	Candidate Photo
11	2417	BHAGWAN SINGH/ DHAN SINGH	VILLAGE POST JAJIWAL KHICHIYAN TEHSIL JODHPUR JODHPUR District JODHPUR	17- Feb- 96	M	GEN- EWS		GEN- EWS	GOVT. GIRLS UPPER PRIMARY SCHOOL NARLAI (504193) (08201002502)	DESURI	
12	4385	SHARWAN KUMAR/ DHANNA RAM	79 MAIN BAZAR ROAD KHOD District PALI	17- Jan- 91	M	SC		SC	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL MULIYAWAS (485672)	PALI	

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय), माध्यमिक, पाली

Signature valid

Digitally signed by Rahu Kumar
Rajpurohit
Designation : District Education Officer
Date: 2023.09.27 15:50:51 IST
Reason: Approved



RajKaj Ref No. : 4800004

